निविदा फार्म चार पहिया वाहन हेतु

(7)

उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला रीवा म.प्र.

सामान्य विवरण		
1	निविदा फार्म प्राप्ति की अंतिम तिथी व समय	01.4.2017 दोपहर 2.30 बजे
2	निविदा जमा (सील बंद लिफाफा) करने की अंतिम तिथी व समय	03.4.2017 दोपहर 2.30 बजे
3	निविदा खोलने की तिथी व समय	03.4.2017 दोपहर 5.00 बजे
प्रशासकीय विवरण		
1	संस्था / फर्म का नाम	
2	पता	
3	प्रोपाइटर का नाम	
4	दूरभाष / मोबाइल नम्बर	
5	संस्था का जीवित पंजीयन कमांक	
6	संस्था का सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन कमांक(TIN)	
7	संस्था / प्रोपाइटर का आय कर कमांक (PAN)	
8	संस्था / प्रोपाइटर का जीवित बैक खाता कमांक एवं बैक का नाम	

वित्तीय विवरण (न्यूनतम दर)

क्रं.	वाहन का प्रकार	दर प्रतिदिन	डीजल खपत प्रति कि.मी.		एक–वाहन दर प्रति दिन+हाल्ट चार्जेस पी.ओ.एल. रहित	एक–वाहन दर प्रति माह पी.ओ.एल. रहित
			ए.सी.	नॉन ए.सी		
1	बोलेरो					
2	स्कार्पियो					
3	सफारी					
4	इनोवा					
5	इण्डिगो					
6	इण्डिका					

सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय विवरण मेरे द्वारा भरे गये जो कि पूर्णतः सत्य व सही है ।

संस्था / फर्म की सील

हस्ताक्षर

(निविदा प्रस्तावक)

नियम व शर्ते–

1– निविदाकार के समस्त वाहनो को पंजीकृत वाहन टैक्सी कोटे में उपलब्ध कराने होगे। निविदाकार को म.प्र. शासन द्वारा वैद्य ट्रैवल्स एजेंसी पंजीयन नियमों का पूर्ण पालन करना होगा।

2– निविदाकार के पास वैद्य लाइंसेंसधारी वाहन चालक होना चाहिये।

3– पेनाल्टी :– निविदा एवं अनुबंध की शर्तो के उल्लंघन के फलस्वरूप यदि विभाग को तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु वाहन मार्केट से किराये पर लेना पड़ा तो मार्केट से लिये गये वाहन पर अधिक देय राशि के बराबर राशि निविदाकर्ता के भुगतान से काटी जावेगी।

4– भुगतान की प्रक्रिया :– कोई भी भुगतान सफल निविदाकर्ता/वाहन प्रदाय कर्ता को एडवांस में नही किया जावेगा। संबंधित वाहन प्रदायकर्ता प्रत्येक वाहन का कार्य समाप्ति पर देयक मय लागबुक की प्रति विभाग में प्रस्तुत करेगें। जिसका भुगतान देयक प्राप्त होने के एक सप्ताह की अवधि में आवश्यक टैक्स काटकर किया जावेगा।

5– विवाद का निराकरण :– अनुबंध की किसी शर्ते के उल्लघन अथवा विवाद की स्थिति में प्रथमतः आपसी चर्चा एवं विचार विमर्श से विवाद हल किया जावेगा, किन्तु यदि हल नही निकलता तो दोनों पक्षकारों को कलेक्टर सह अध्यक्ष कृषि महोत्सव जिला क्रियान्वयन समिति रीवा का निर्णय मान्य करना अनिवार्य होगा।

6– किराये पर दिये जाने वाले वाहन का मॉडल 01.03.2017 को तीन वर्ष से पुराना नही होना चाहिये। नवीन मॉडल के वाहन को प्राथमिकता दी जावेगी।

7– वाहन में डीजल का प्रदाय अथवा प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जावेगी। वाहन के संधारण पर होने वाला व्यय बैटरी, टायर, ट्यूब आदि का उत्तरदायित्व वाहन प्रदायकर्ता का होगा।

8– निविदाकार द्वारा वाहन डीजल खपत प्रतिकिलोमीटर अनुसार ही डीजल प्रदाय किया जावेगा। वाहन वापसी पर शेष डीजल मात्रा की राशि प्रस्तुत देयक भुगतान के समय काट ली जावेगी।

9– यदि वाहन में कोई तकनीकी खराबी आती है तो वाहन प्रदायकर्ता को अन्य वाहन 24 घण्टे के अंदर व्यवस्था करना होगा।

10– वाहन का चालक वाहन उपयोग कर्ता अधिकारी के आदेशो का पालन अनिवार्य रूप से करेगा।

11– वाहन सेल्फ स्टार्ट होना एवं त्रुटि रहित होना अनिवार्य होगा।

12– वाहन चालक निर्धारित यूनिफार्म में होना चाहिये एवं उसके पास वाहन चालन का वैद्य ड्राइविंग लाईसेंस हमेशा होना चाहिये।

13– वाहन चालक वाहन के आवश्यक दस्तावेज तथा बीमा, रजिस्ट्रेशन, टेक्स पेड प्रमाण पत्र आदि हमेशा वाहन में रखेगे।

14– किसी भी प्रकार की दुर्घटना हेतु वाहन चालक/वाहन का स्वामी उत्तरदायी होगें एवं समस्त व्यय वहन करने के साथ ही किसी प्रकार का विवाद होने अथवा न्यायालय में प्रकरण जाने पर उसका निपटारा उन्हे स्वंय करना होंगा। विभाग का इस संबंध में कोई उत्तरदायी नही होगा।

15– यात्रा के दौरान वाहन दो घण्टे से अधिक खराब रहने की स्थिति में विभाग द्वारा अन्य वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था पर किया गया व्यय या उस दिन का वाहन का किराया भुगतान हेतु प्रस्तुत देयक के काटा जावेगा।

16– सफल निविदाकार को वाहन दिनांक 14 अप्रैल 2017 को शाम 4:00 बजे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

17– वाहन चालक, वाहन की लागबुक संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर करवायेगा।

18– माईलोमीटर की गडबडी या अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाए जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा सड़क मार्ग की निर्धारित दूरी ही मान्य होगी।

19– सफल निविदाकार को कार्यादेश विधिवत प्रदाय किया जावेगा।

20– वाहन चालक को वेतन भत्ते एवं भ्रमण की स्थिति में ठहरने/भोजन आदि की व्यवस्था वाहन प्रदायकर्ता को करना होगा।

21– वाहन आवश्यकता के अनुसार जिले में कही भी भेजे जा सकेंगे।

22– उन्ही निविदाकर्ताओं की निविदा मान्य की जावेगी जो म.प्र. में उक्त व्यवसाय करते है। दरें सामान्य होने की स्थिति में निकटतम निविदा की दरें मान्य की जावेगी।

23– भ्रमण की स्थिति में टोल टैक्स आदि की मूल रसीद प्रस्तुत करने पर प्रस्तुत देयक के साथ उसका भुगतान किया जावेगा।

24– सफल निविदाकार को 18 वाहन एक साथ उपलब्ध कराना होगा। सफल निविदाकर्ता के पास यदि वांछित वाहन तत्काल उपलब्ध ना हो तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी।

25– निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय कलेक्टर सह अध्यक्ष कृषि महोत्सव जिला क्रियान्वयन समिति रीवा का होगा। यह निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। जिसके संबंध में न्यायालयीन वार प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

26–निविदा दर स्वीकृत होने की दशा में प्रस्तावक को तत्काल अमानत राशि रूपया 50000/– (पचास हजार रूपया) का डिमाण्ड ड्राफ्ट उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला रीवा के नाम पर जमा करना होगा। जिसे कार्योपरांत यथावत वापिस कर दिया जावेगा। परन्तु स्वीकृत पश्चात कार्य करने से मना करने पर जमा अमानत राशि राजसात कर ली जायेगी।

27–गत वर्ष अदाय की गयी इन्कम टैक्स रिर्टन की कापी की छाया प्रति संलग्न करें।

हस्ताक्षर

(निविदा प्रस्तावक)

नाम..

पता..

मोबाइल नं. ....